आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर
दिनांक : 30.06.2024
समय : 0705

<><><><><><><>

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी पर 'मन की बात' कार्यक्रम में देश–विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे।
- आई सी डी एस परियोजना रंगत की ओर से क्षेत्र के सभी बाईस पंचायतों में हर माह के दूसरे सप्ताह में पेंशन दिवस मनाया जाएगा।
- द्वीपसमूह की सशस्त्र पुलिस इकाई को गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए आई एस ओ प्रमाणन प्राप्त हुआ है।
- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की ओर से द्वीपसमूह के दो प्राथमिक सहकारी समितियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है।
- कोलकाता से आ रहे जहाज सिंधु के अब डिगलीपुर के बजाय मायाबंदर होकर कल पोर्ट ब्लेयर पहुंचने की संभावना है।

<><><><><><><>

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में ग्यारह बजे आकाशवाणी से 'मन की बात' कार्यक्रम में देश–विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की एक सौ ग्यारहवीं कड़ी होगी। श्री मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद 'मन की बात' कार्यक्रम की यह पहली कडी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और **newsonair** मोबाइल ऐप पर उपलब्ध होगा। इसे आकाशवाणी समाचार, डीडी न्यूज, पी.एम.ओ और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यू–ट्यूब चैनलों पर भी लाइव प्रसारित किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा।

<><><><><><><>

आई सी डी एस परियोजना रंगत की ओर से क्षेत्र के सभी बाईस पंचायतों में हर माह के दूसरे सप्ताह में पेंशन दिवस मनाया जाएगा। इस सिलसिले में आठ जुलाई को मायाबंदर, बसंतीपुर, स्वदेश नगर और पर्णशाला, नौ जुलाई को रंगत, हरिनगर, शिवपुरम, सबरी और पोकाडेरा, दस

जुलाई को बकुलतला, कदमतला, निंबूतला और चेनपुर, ग्यारह जुलाई को कदमतला, उत्तरा, दशरथपुर और पहलगांव तथा बारह जुलाई को नीलाम्बुर, सुंदरगढ़, उर्मिलापुर, रामपुर और लांग आइलैंड में पेंशन दिवस का आयोजन होगा। इस दौरान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं से संबंधित आवेदन फार्म लाभार्थियों से एकत्र किए जाएंगे। समाज कल्याण विभाग की ओर से चलाई जा रही वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं, बेसहारा महिलाओं और दिव्यांगजनों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता के तहत पेंशन दिवस का आयोजन होगा।

<><><><><><><>

द्वीपसमूह की सशस्त्र पुलिस इकाई को गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए आई एस ओ प्रमाणन प्राप्त हुआ है। यह प्रतिष्ठित प्रमाणन सशस्त्र पुलिस इकाई के अपने संचालन में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के पालन और उत्कृष्ठता के प्रतिबद्धता को दर्शता है। पुलिस लाईन, शादीपुर पोस्ट ऑफिस, आपातकालीन रिर्जव बलों के प्रबंधन हथियारों और गोलाबारूद के रख–रखाव, रसद और स्टोर की देख–रेख, मार्गरक्षण, खेलों को बढ़ावा देने और पुलिस कर्मियों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को भी शामिल किया गया है। यह उपलब्धि पुलिस महानिदेशक देवेश चन्द्र श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में संभव हुई। अंतर्राष्ट्रीय संगठन मानकीकरण द्वारा प्रदान किया गया आई एस ओ प्रमाणन, परिचालन दक्षता, जवाबदेही और सार्वजनिक संतुष्टि के लिए सशस्त्र पुलिस इकाई की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।

<><><><><><><>

पहली जुलाई से लागू होने जा रहे तीन नए आपराधिक कानून के कियान्वयन और इस पर जागरूकता उत्पन्न करने के लिए अंडमान निकोबार पुलिस की ओर से जागरूकता अभियान चलाया गया। दक्षिण अंडमान ज़िले के पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों के लिए चाथम में पुलिस मरीन बल के सम्मेलन कक्ष में आयोजित जागरूकता कार्यकम में उप–पुलिस महानिरीक्षक वर्षा शर्मा ने इन नए कानूनों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। पुलिस प्रशिक्षण स्कूल में अधिवक्ताओं के लिए विशेष सत्र का आयोजन किया गया। इस अवसर पर तीस हजारी कोर्ट दिल्ली के विशेष अवर सरकारी अधिवक्ता अतुल श्रीवास्तव मुख्य वक्ता थे। निकोबार ज़िला पुलिस की ओर से भी ज़िले में पुलिस कर्मियों के अलावा आम जनता के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। इन कार्यकमों का उद्देश्य नए कानूनों को लागू करने में समुदायों का

सहयोग प्राप्त करना और उन्हें इसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी देना था, ताकि जन–मानस को इसका लाभ मिल सके।

<><><><><><><>

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की ओर से द्वीपसमूह के दो प्राथमिक सहकारी समितियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है। इनमें सी–मैन सहकारी सोसाइटी लिमिटेड पोर्ट ब्लेयर और जागरूक सुरक्षा सेवा सहकारी समिति लिमिटेड पोर्ट ब्लेयर शामिल हैं। हाल ही में पोर्ट ब्लेयर में आर सी एस कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में आयोजित सम्मान समारोह में सहकारिता की विशेष सचिव व सहकारी समितियों की पंजीयक नन्दिनी महाराज मुख्य अतिथि थी। उन्होंने इन प्राथमिक सहकारी समितियों को पच्चीस हजार रूपये की नगद राशि के साथ सम्मानित किया।

<><><><><><><>

चिन्मय मिशन पोर्ट ब्लेयर में आज वेद और वेदांत पर विशेष वार्ता का आयोजन किया जाएगा। मिशन के सभागार में आज दिन में साढ़े दस बजे आयोजित होने वाले इस धार्मिक वार्ता के कार्यक्रम में मुख्य सचिव केशव चन्द्र मुख्य वक्ता होंगे।

<><><><><><><>

मध्योत्तर अंडमान ज़िले में एच, एच वन और एक्स दवाओं की बिक्री करने वाले सभी दुकानदारों को अपने दुकानों के भीतर और बाहर सी.सी.टी.वी. कैमरा स्थापित करने का निर्देश दिया गया है। ज़िला मजिस्ट्रेट दिलखुश मीणा ने नियमों के तहत आदेश जारी करते हुए कहा है कि ज़िले के ऐसे सभी मेडिकल स्टोर, दवा की दुकाने, जहां अधिसूचित एच, एच वन और एक्स दवाओं की बिक्री की जाती है, उन्हें कैमरा लगाने के लिए एक माह का समय दिया गया है। स्थापित कैमरे की फुटेज की कभी भी राज्य दवा नियंत्रक प्राधिकरण यानि स्वास्थ्य सेवा निदेशक या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी की ओर से बेतरतीब जांच की जाएगी। जो दवाई दुकान मालिक निर्देश का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। संबंधित पदनामित अधिकारियों द्वारा अपने–अपने क्षेत्र में पुलिस और दवा निरीक्षक की सहायता से आदेश का पालन किया जाएगा और रिपोर्ट जमा किया जाएगा।

<><><><><><><>

कोलकाता से चला जहाज सिंधु के कल पोर्ट ब्लेयर पहुंचने की संभावना है। डिगलीपुर बंदरगाह में उचित मात्रा में पानी की गहराई न होने तथा खराब मौसम और तेज हवाओं के कारण यह जलयान अब डिगलीपुर के बजाय मायाबंदर होकर पोर्ट ब्लेयर आएगा। जहाज़ से यात्रा कर रहे डिगलीपुर के यात्रियों को मायाबंदर जेट्टी पर उतरने की सलाह दी गई है। मायाबंदर से पोर्ट ब्लेयर आने वाले इच्छुक यात्री आज शाम इस जलयान की मायाबंदर से होने वाली यात्रा का लाभ उठा सकते हैं।

<><><><><><><>

भारी बारिश के कारण हम्फ्रीगंज गांव और अन्य जलमग्न क्षेत्रों में लोगों को हुई असुविधा तथा उन्हें इससे छुटकारा दिलाने के लिए दक्षिण अंडमान ज़िला उपायुक्त अर्जुन शर्मा, एस डी एम विनायक चमाड़िया और अन्य राजस्व अधिकारियों ने इन क्षेत्रों का दौरा किया। बंद पड़े नालों का तुरंत सफाई करने और भू–स्खलन तथा वर्षा से प्रभावित लेागों को सहायता पहुंचाने के लिए निर्देश दिया गया। ज़िला उपायुक्त ने आपदा के समय किसी भी सहायता के लिए ज़िला नियंत्रण कक्ष में फोन संख्या–दो चार शून्य एक दो सात दो तीन आठ आठ आठ एक या एक शून्य सात शून्य पर डायल करने का अनुरोध किया है।

<><><><><><><>

नई दूरसंचार अधिनियम–दो हजार तेईस, में नागरिकों की निजता और दूरसंचार नेटवर्क की सुरक्षा को मजबूत किया गया है। ये अधिनियम आंशिक रूप से इस साल छब्बीस जून से लागू हुआ है। दूरसंचार विभाग ने बताया है कि इस अधिनियम ने भारतीय टेलिग्राफ अधिनियम अट्ठारह सौ पिचासी और भारतीय वायरलेस टेलिग्राफ अधिनियम–उन्नीस सौ पैंतीस का स्थान लिया है।

<><><><><><><>

जवाहर लाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय में विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि हैं। सामान्य कॉलेज प्रवेश पोर्टल के माध्यम से आवेदन जमा करना होगा।

<><><><><><><>